अपील सूचना अधिकार संख्या 07/2017 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

31–07–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 28.12.2016 के द्वारा एक बिन्दु की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर से चाही थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है, जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1)(2) के तहत उन पर 25000रूपये जुर्माना लगाया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 28.12.2016 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनां चाही थीः–

> लोकसभा व विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के उपरान्त चुनाव के कार्यो में कार्य का निष्पादन करने के दौरान चुनाव अधिकारी या बीएलओ द्वारा मुख्यालय छोडने के लिए जिस निर्वाचन अधिकारी से स्वीकृत प्राप्त कर मुख्यालय से बाहर अवकाश पर जा सकेगा, उसकी प्रक्रिया व निर्वाचन विभाग/आयोग के आदेश या परिपत्र या नियम की सूचना स्पष्ट रूप से व दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 9917 दिनांक 07.02.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र सं0 8905 दिनांक 10.01.17 के द्वारा समय अवधि में सूचित कर दिया गया था। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 8905 दिनांक 10.01.2017 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आप द्वारा चाही गई सूचना के संबध में आपको अवगत करवाया जाता है कि—

राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई—मेल, मत, सलाह, प्रेस—विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, सविंदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो अतः चाही गई सूचना के सबंध में आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर वांछित सूचना के संबध में आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर वाछित सूचना के संबध में उपलब्ध अभिलेखो को चिन्हित कर दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है।

यदि आप इस सूचना से असंतुष्ट है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते है।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कोई निश्चित सूचना नही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 10.01.17 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए लोक सूचना अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का यदि अपीलार्थी अवलोकन कर कोई सूचना लेना चाहे तो उसे उपलब्ध अभिलेख का नियमानुसार अवलोकन करवा दिया जावे और उपलब्ध अभिलेख में से अपीलार्थी जो सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर

श्रीगंगानगर